

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक 16.7.2007

विषय:- बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विन्दुओं पर मार्गदर्शन ।

बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन और उनके आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के कम में आये दिन कतिपय विन्दुओं पर पृच्छायें की जाती हैं। इसी तरह विभिन्न विभागों / कार्यालयों द्वारा भी पृच्छायें की जाती हैं और परामर्श माँगा जाता है।

2. हालाँकि ऐसे सभी पृच्छित विन्दुओं पर समय-समय पर परिपत्र/ संकल्प / अनुदेश निर्गत होते रहे हैं। जैसे अध्यायना, विज्ञापन, पूर्ववृत्त सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, योगदान नहीं देने के कारण रिक्तियों को अग्रणीत किया जाना आदि विन्दुओं पर अनुदेश निर्गत किये जा चुके हैं। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में समय-समय पर संकल्प निर्गत होते रहे हैं। सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट दी हुई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने हेतु अवसरों की सीमा समाप्त की जा चुकी है। न्यूनतम अर्हतांक के संबंध में परिपत्र निर्गत है।

3. वर्णित स्थिति में उपर्युक्त रूप में निर्गत अनुदेशों को समेकित रूप में परिचालन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों/संकल्पों में दिये गये अनुदेश/मार्गदर्शन को एक संकल्प के तहत समेकित करते हुए दुहराये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि इन विन्दुओं पर पृच्छाओं एवं मार्गदर्शन माँगने की आवश्यकता नहीं रह जाय और भर्ती की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो। अतः उक्त आलोक में, और कमशः बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से, निम्नांकित निदेश दिये जाने का निर्णय लिया गया है-

- (1) सभी विभाग संवर्ग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे।
- (2)(क) उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अध्यायना संबंधित आयोग को 30 अप्रील तक भेज देंगे। अध्यायित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जायेगी। इस संबंध में निर्गत पत्रांक 1532 दिनांक 03.06. 2006 का अनुपालन आवश्यक होगा।

- (ख) क्षेत्रीय कार्यालयों की रिक्तियों की जानकारी संबंधित विभाग स्वयं प्राप्त कर समेकित रूप से अध्याचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजेंगे। जबतक विभाग से अध्याचना नहीं आये, तबतक बिहार कर्मचारी चयन आयोग चयन हेतु कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जिलों की अध्याचना भी सीधे आयोग को नहीं भेजी जायेगी बल्कि रिक्तियों की सूचना सम्बन्धित विभाग को भेजी जायेगी तथा विभाग बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अध्याचना भेजेगा।
- (3) संबंधित आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। आवेदन-पत्र प्राप्ति की समय-सीमा विज्ञापन की तिथि से सामान्यतः एक माह तक अथवा आयोग द्वारा यथा विनिश्चित रखी जा सकेगी।
- (4) उम्र निर्धारण हेतु कट-आफ-डेट 01 अगस्त पूर्ववत रहेगा, किन्तु इस प्रसंग में निर्गत पत्रांक 212 दिनांक 23.01.2006 का अनुपालन आवश्यक होगा।
- (5) सरकारी सेवाओं में भर्ती हेतु न्यूनतम आयु स्नातक योग्यताओं वाले मामलों में 21 वर्ष तथा स्नातक से न्यून योग्यताओं वाले मामलों में 18 वर्ष रहेगी। अधिकतम आयु वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प के तहत आरक्षण कोटिवार समय-समय पर निर्धारित की जाय।
- (6) सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतर वेतनमान की सेवा / संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।
- (7) विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हतांक का समान रूप से निर्धारण संकल्प संख्या- 15838 दिनांक- 22.12.90 एवं 10258 दिनांक 05.08.91 द्वारा निम्नांकित रूप में किया गया है -
- | | | |
|---|-------|--------------|
| सामान्य वर्ग | | 40 प्रतिशत |
| पिछड़ा वर्ग | | 36.5 प्रतिशत |
| पिछड़ा वर्ग एनेक्श्चर - 1 | | 34 प्रतिशत |
| अनुसूचित जाति/जन-जाति एवं महिला वर्ग..... | | 32 प्रतिशत |
- न्यूनतम अर्हतांक का उपर्युक्त रूप में निर्धारण सभी सेवाओं/संवर्गों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ/विषयनिष्ठ) पर समान रूप से लागू रहेगा। अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) के लिए, जहाँ लागू हो, उक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (8) प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10.09.2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी। परन्तु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम तीन अवसरों की सीमा लागू रहेगी।

- (9) विज्ञापन के प्रकाशनोपरांत, मात्र एक पत्र (वस्तुनिष्ठ) की परीक्षा रहने पर परीक्षाफल अधिकतम छह माह में, वेबसाई मुख्य परीक्षा होने पर परीक्षाफल अधिकतम नौ माह में, तथा एक/दो विषयों की प्रारम्भिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा एवं तत्पश्चात् साक्षात्कार होने की स्थिति में परीक्षाफल अधिकतम एक वर्ष में प्रकाशित कर दिया जायेगा।
- (10) ऐसी सेवाओं / संवर्गों के संबंध में, जिनमें लिखित परीक्षा के बाद अन्तर्वीक्षा की व्यवस्था भी है, लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अन्तर्वीक्षा के लिए बुलाये जानेवाले उम्मीदवारों की संख्या अध्याचित रिक्तियों के ढाई गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। संबंधित सेवा नियमावलियों में तदनुकूल प्रावधान प्रशासी विभाग द्वारा कर लिया जायेगा।
- (11) संबंधित आयोग द्वारा आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार कर अपनी अनुशंसा के साथ, संबंधित विभाग को भेजा जायेगा। मेधा के आधार पर मेधा सूची में आए उम्मीदवार की गणना आरक्षित कोटि में नहीं की जाएगी। मेधा सूची में उम्मीदवार के नाम के आगे उनका प्राप्तांक भी अभिलिखित रहेगा।
- (12) संबंधित विभाग प्राप्त मेधा सूची के आधार पर उनके पूर्ववृत्त सत्यापन (पुलिस भेरिफिकेशन), स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल जाँच) तथा प्रमाण पत्र सत्यापन की कार्यवाई एक माह में अन्दर करेगा। पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधी निर्गत पत्रांक 1859 दिनांक 08.07.2006 तथा उसके साथ संलग्न सत्यापन प्रपत्र का अनुपालन आवश्यक होगा।
- (13) जिन सेवाओं/संवर्गों में अन्तर्वीक्षा की व्यवस्था है, उनके संबंध में स्वास्थ्य परीक्षण (मात्र संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को छोड़कर) एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की कार्यवाई संबंधित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। संगत प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूर्ववृत्त आयोग एवं प्रशासी विभाग करेंगे।
- (14) संबंधित आयोग द्वारा एक बार अनुशंसा भेज देने के बाद उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा। परन्तु, कतिपय विशिष्ट कारणों, यथा-विभाग द्वारा अनुशंसा वापस किये जाने / पूर्व संसूचित रिक्तियों में संशोधन कर संशोधित अनुशंसा की मांग करने/ न्यायालयों के संगत आदेशों के आलोक में आयोग की अनुशंसा में यथोचित संशोधन किया जा सकेगा।
- (15) उपर्युक्त कार्यवाइयों के बाद भर्ती हेतु अपेक्षित कार्यवाई रक्षा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी। भर्ती के कम से कम कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 01.04.2003 में निहित अनुदेशों का अनुपालन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा।
- (16) किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगले अध्याचना के लिए अग्रणीत की जायेंगी।

(17) उपर्युक्त रूप में भर्ती की कार्रवाई आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के अन्दर पूरा कर लेना आवश्यक होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रतियाँ बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(महेश्वर) _____
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/एम0-63/2005 का0- 2374 पटना, दिनांक 16.7.2007

प्रतिलिपि अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 250 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को, 250 प्रतियाँ बिहार लोक सेवा आयोग को तथा 250 प्रतियाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग को और 5-5 प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी को भेजने हेतु प्रेषित।

(महेश्वर) _____
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/एम0-63/2005 का0- 2374 पटना, दिनांक 16.7.2007

प्रतिलिपि सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, पटना/ मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(महेश्वर) _____
(आमिर सुबहानी) 13.7.2007
सरकार के सचिव।